

संख्या: 211 / XI / 14 / 56(11)11 टी0सी0-2

देहरादून: दिनांक: 13 फरवरी, 2014

कार्यालय आदेश

ग्राम्य विकास विभाग | उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1834 / XI / 13 / 56(21)11 दिनांक-10 सितम्बर, 2013 के द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integratyed Livelihood Support Project) के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित राज्य के 10 जनपदों के 30 विकास खण्डों में 11 अतिरिक्त विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार 11 जनपद के कुल 41 विकास खण्डों का निर्धारण करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कार्यालय आदेश संख्या-1834 / दिनांक-10 सितम्बर, 2012 के द्वारा चयनित विकास खण्ड		वर्तमान में चयनित जनपद / विकास खण्ड	
1.	जनपद	विकास खण्ड	जनपद	विकास खण्ड
1.	अल्मोड़ा	स्यालदेह, सल्ट, भिकियासैण, चौखुटिया, हवालबाग	अल्मोड़ा	स्यालदेह, सल्ट, भिकियासैण, चौखुटिया, हवालबाग, भैसियाछाना, लमगड़ा एवं धौलादेवी
2.	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड, कपकोट
3.	चमोली	घाट, देवाल, नारायणबगड, थराली, दशोली	चमोली	घाट, देवाल, नारायणबगड, थराली, दशोली
4.	टिहरी	चम्बा, भिलंगना, जौनपुर	टिहरी	चम्बा, भिलंगना, जौनपुर, देवप्रयाग एवं प्रतापनगर
5.	उत्तरकाशी	नौगांव, मोरी, भटवाड़ी	उत्तरकाशी	नौगांव, मोरी, भटवाड़ी, पुरोला एवं डुण्डा
6.	रुद्रप्रयाग	जखोली, अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग	जखोली, अगस्तमुनि
7.	पौड़ी	पाबौ, ऐकेश्वर	पौड़ी	पाबौ, ऐकेश्वर, कल्जीखाल
8.	चम्पावत	पाटी, चम्पावत, बाराकोट	चम्पावत	पाटी, चम्पावत, बाराकोट
9.	पिथौरागढ़	कनालीछिना, पिथौरागढ़, मुनाकोट	पिथौरागढ़	कनालीछिना, पिथौरागढ़, मुनाकोट
10.	नैनीताल	बेतालघाट, रामनगर	नैनीताल	बेतालघाट, रामनगर
11.	-	-	देहरादून	कालसी एवं चकराता

2. उक्त शासनादेश दिनांक-10 सितम्बर, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।


(विनोद कोनिया)
सचिव।

संख्या- 211 /XI/14/56 (11)11 टी0सी0-2 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा
०२/१५

आज्ञा से,


(जे०एल०शर्मा)
अनु सचिव।